

आर.ई.ओ.-84



जोधपुर  
विद्युत वितरण  
निगम लि०

विद्युत वितरण निगम लि०

क्रमांक:- प्राणि/जोविनिनिदि/अनु-सीपीएम/पत्रा०आर.ई.ओ./प्रेस० 882 जोधपुर, दिनांक 24-8-04

संशोधन

विषय:- कृषि के पुराने कटे हुये कनेक्शन को पुनः चालू करने के संबंध में।

संख्या:- निगम के आदेश क्रमांक प्राणि/जोविनिनिदि/अनु-सीपीएम/प.सामान्य प्रेस० 844 दिनांक 19.08.2004 ( आ.ई.ओ.-83)

\*\*\*\*

उपरोक्त संदर्भित आदेश के पैरा नम्बर 2 के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त दिशा निर्देश नई कृषि नीति 2004 के लागू के उपरान्त कटे हुये कनेक्शनों पर ही लागू होगी। पूरे न कटे हुये कनेक्शनों पर यह लागू नहीं होगी तथा पाँच (5) साल तक पुनः जुड़वाने की सुविधा पूर्ववत् नियमानुसार जारी रहेंगी।

पुनः विद्युत सम्बन्ध जुड़वाने की राशि का निर्धारण नई कृषि नीति 2004 के अनुसार जैसा मांग पत्र द्वारा किया जायेगा।

[आर.एस.चौधरी]  
मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम)  
जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, जोधपुर।